रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 1972/माघ 22, 1893

No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 1972/MAGHA 22, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th Februay 1972

SUBJECT.—*Import of tractors by agriculturists as gift.*

No. 24-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Pupblic Notice No. 161-ITC(PN)/71 dated 18th November, 1971 issued on the above subject.

2. The position has been reviewed and it has been decided to extend the last date for submission of applications or customs clearance permits from the 31st January, 1972 to the 30th April, 1972. Applications received after 30th April, 1972 will not be entertained.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1972

विषय : व्यक्तियों द्वारा उपहार के रूप में ट्रैक्टरों का आयात

संख्या: 24 आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—उपर्युक्त विषय पर विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 161–आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 18–11–71 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा की गई है और यह निश्चय किया गया है कि सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 1972 को बढ़ा कर 30 अप्रैल, 1972 किया जाये। 30 अप्रैल, 1972 के बाद प्राप्त किये गये आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ORDER

New Delhi, the 11th February 1972

No. 1/72.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade, No. I & E/71, dated the 4th December, 1971, except as respects things done or action taken or omitted to be done or taken.

M. M. SEN.
Chief Controller of Imports & Exports.

आदेश

नई दिल्ली, 11 फरवरी 1972

सं० 1/72.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार विदेश व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं० आई एण्ड ई/71 दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 को इसके सम्बन्ध में जो काम कर लिये गये हैं अथवा कार्रवाई की गई है अथवा काम या कार्रवाई करने के लिए छोड़ दिये गये हैं उनको छोड़कर एतद्द्वारा निरस्त करती है।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।

New Delhi, the 11th February 1972

No. 2/72.—In exercise of the powers conferred by rule 126 of the Defence of India Rules, 1971, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. I&E/71 dated the 11th December, 1971, the Central Government hereby prohibits the import and export of all goods directly into or from any port or place in India, from or to any port or place in Pakistan.

H. LAL, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1972

सं० 2/72.—भारत सुरक्षा नियमावली, 1971 के नियम 126 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर तथा विदेश व्यापार मंत्रालय में संख्या आई० एण्ड ई० 71 दिनांक 11 दिसम्बर, 1971 के भारत सरकार के आदेश का अधिक्रमण कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के किसी भी पत्तन या स्थान को या से पाकिस्तान के किसी भी पत्तन या स्थान से या को सभी प्रकार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयात-निर्यात करने पर निषेध लगाती है।

रूप० लाल, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972